

क्र. सं.
दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

577, 578, 579, 580 दिनांक
228 है. का ग्राम
महादेवपुरा तह. कोल्हापुरा का
राज्य नम्बरा दुरस्त करवाने
जाने की इत्तइका सी है।

वादी ने यह वाद राज.
सरकार के पिरुष पेश किया
है एवं अनुलेख भी सराज्य
सरकार ले चाहा है, इसलिए
वादी ने धारा 80 CPC के
उपबन्धों की अनुपालना में
राज्य सरकार को अग्रिक नोटिस
दिया जाना आवश्यक था।

वादी की ओर से
पृथक् ले कोरि ज. पत्र अन्तर्गत
धारा 80(2) CPC पेश नहीं किया
है।

अतः गुणावगुण पर विचार
किर बिना यह वाद धारा 80 CPC के
उपबन्धों से बाधित होने के कारण
थारिज किया जाता है।

डिप्टी पंचायती धा
पहावती के तत्व शुक्राद धरुत (प
नम्बर के क्रम ध

30
[Signature]
[Stamp]